कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद, जयपुर

(क.नं.–303, तृतीय तल, अकादमिक भवन, श्याम दुर्गापुरा, जयपुर)

क्रमांक / उ.नि.कृ. / एनएमओओपी / एमएम–3 / 2018–19 / 1602–09

दिनांक : 25.06.2018

प्रशासनिक स्वीकृति

जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी ग्राम – भूरटिया गिरधारी लाल पुरा छान्देलकला चाकसू, जयपुर, राजस्थान के द्वारा एनएफएसएम– वृक्ष जनित तिलहन (TBOS) के अन्तर्गत 0.25 हैक्टर क्षेत्रफल में जैतून के 100 पौधा रोपण पर अनुदान हेतु आवेदन किया गया है। आवेदन के साथ विभागीय दिशा निर्देशानुसार भूमि की जमा बन्दी, सादे कागज पर घोषणा एवं मिट्टी तथा पानी की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की गई है।

प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि आयुक्तालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.5(58)आकृ/एनएफएसएफ–टीबीऑस/2018–19/10439–68 दिनांक 06.06.2018 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृषि आयुक्तालय जयपुर के पत्र क्रमांक 10439–68 दिनांक 06.06.2018 एवं पत्रांक 2477–2520 दिनांक 12.05.2017 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी के खसरा नं. 26 में वर्तमान में लगे हुए ड्रिप सिस्टम पर 0.25 हैक्टर क्षेत्रफल में वर्ष 2018–19 में एनएफएसएम–टीबीऑएस योजनान्तर्गत निम्नानुसार जैतून के पौधे रोपण पर राशि रू. 12000/– (अंके रू. बारह हजार मात्र) की अनुदान राशि एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

1. जैतून के पौधे राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन लि. जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। पौधों का परिवहन संस्था द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जायेगा।
2. राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन लि. जयपुर के अनुसार निर्देशित कृषक हिस्सा राशि राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन लि. जयपुर में जमा कराने के बाद ही पौधे उपलब्ध कराये जाएगें।
3. पौधों का रोपण राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन. लि. जयपुर की तकनीकी देखरेख में किया जाएगा।
4. अग्रिम चार वर्षो तक पौधों के संधारण पर अनुदान विभागीय दिशा निर्देश एवं कृषि आयुक्तालय के पत्रांक 10572–92 दिनांक 08.06.2018 के अनुसार देय होगा। पौधों के वितरण उपरान्त राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन लि. जयपुर के द्वारा कार्यालय को प्रेषित बिल/इनवॉयस के अधार पर राशि रू. 12000/– तक का भुगतान राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन लि. जयपुर को इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के विभागीय नोडल अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) सांगानेर के अधीन पद स्थापित कृषि अधिकारी (फसल) होगें। ये अधिकारी समस्त विभागीय दिशानिर्देशों की पालना करते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगे एवं आवश्यकतानुसार भ्रमण/अवलोकन भी करेगें।

JAGANNATH UNIVERSITY JAIPUR

(राकेश कुमार अटल)
उप निदेशक कृषि (वि0)
जिला परिषद जयपुर

क्रमांक / उ.नि.कृ. / एनएमओओपी / एमएम–3 / 2018–19 / 1602–09

दिनांक : 25.06.2018

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (एएफएसएम–तिलहन) कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जयपुर खण्ड, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान ओलीव कल्टीवेशन लि. दुर्गापुरा, जयपुर
5. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगानेर।
6. नोडल अधिकारी (कृषि अधिकारी फसल) द्वारा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगानेर।
7. जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी ग्राम – भूरटिया गिरधारी लाल पुरा छान्देलकला चाकसू, जयपुर।
8. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
9. आरक्षित पत्रावली।

10–1/29.6.18

उप निदेशक कृषि (वि0)
जिला परिषद जयपुर

DEAN
FACULTY OF SCIENCE (AGRICULTURE)
JAGANNATH UNIVERSITY
CHAKSU, JAIPUR (RAJ.)

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

1-D:\ARUN\2014-15 LATTER\Aro 2018-19\NFSM - TBOS\NFSM-TBOS.docx